



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072024-255386  
CG-DL-E-13072024-255386

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 13, 2024/आषाढ 22, 1946

No. 190]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 13, 2024/ASHADHA 22, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2024

फा. सं. 17015/53/2024-आईएस-1.—सं. 189 दिनांक 12 जुलाई 2024 की अधिसूचना निम्नलिखित होगी :

जबकि, 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किये गए |

और जबकि, भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है;

इसलिए, भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को सम्मान देने के लिए 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" घोषित किया है और भारत के लोगों को, भविष्य में, किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है।

जी पार्थसारथी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2024

**F. No. 17015/53/2024-IS-I.**—Notification No. 189 dated 12 July 2024 is as below:

Whereas, a proclamation of Emergency was made on 25th June, 1975, following which there was gross abuse of power by the Government of the day and people of India were subjected to excesses and atrocities;

And whereas, people of India have abiding faith in the Constitution of India and the power of India's resilient democracy;

Therefore, Government of India declares **25<sup>th</sup> June** as "**Samvidhaan Hatya Diwas (संविधान हत्या दिवस)**" to pay tribute to all those who suffered and fought against the gross abuse of power during the period of Emergency and to recommit the people of India to not support in any manner such gross abuse of power, in future.

G. PARTHASARATHI, Jt. Secy.